सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

फरवरी, 2024

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	(i)
1	वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण	1-4
2	मध्यावधिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय कार्यनिति का विवरण	5-12

प्राक्कथन

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 केंद्र सरकार के घाटे और उसके द्वारा ऋण में मध्यावधिक अवधि में वहनीय स्तर तक कमी लाने के लिए विधायी फ्रेमवर्क की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था ताकि राजकोषीय प्रबंध और दीर्घावधिक वृहत-आर्थिक सुस्थिरता में अंतरपीढ़ीगत साम्यता सुनिश्चित की जा सके। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004, 5 जुलाई 2004 से लागू हो गई है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन फ्रेमवर्क में केन्द्र सरकार को यह अधिदेश दिया गया है कि वे राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक सीमित करे। इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि केन्द्र सरकार 31 मार्च, 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण को जीडीपी के 60 प्रतिशत तक और केन्द्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक सीमित करे।

आज की स्थिति में राजकोषीय घाटा,राजकोषीय समेकन के लिए एकमात्र प्रचालनात्मक लक्ष्य है। संशोधित अनुमान 2023-24 में सरकार ने अपने राजकोषीय घाटा लक्ष्य को संशोधित करके 5.8 प्रतिशत किया है। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में और उसके आगे व्यय की गुणवत्ता और राजकोषीय समेकन में सुधार लाने को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार राजकोषीय समेकन के मुख्य मार्ग पर चलना जारी रखेगी ताकि वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम के राजकोषीय घाटे का स्तर हासिल किया जा सके।

इस प्रलेख में वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के साथ-साथ राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति विवरण दिए गए हैं। इन विवरणों में अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं के आकलन के साथ-साथ कराधान, व्यय, बाजार उधारियों और अन्य देयताओं के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की कार्यनीतियों को दर्शाया गया है। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्य और धारा 7(3) ख के अन्तर्गत अनुपालन दायित्वों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करते हुए विचलन का विवरण भी शामिल किया गया है। एफआरबीएम नीति विवरण एतद्द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

******

1. वृहत आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण 2024-25

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1. वैश्विक वृहत् आर्थिक परिदृश्य में वर्ष 2023 के दौरान एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करना जारी रखा। जबकि प्रतिकूल भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण अनिश्चितता बनी रही, आपूर्ति श्रृंखला कठोरताओं में सुधार हुआ है। अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फिति सुधरी है। फरवरी, 2023 से वैश्विक मिश्रित पीएमआई के विस्तारणीय प्रक्षेत्र में रहने के कारण वैश्विक संवृद्धि पुनर्प्राप्ति का संकेत दे रही है।

2. फिर भी, भू-राजनीतिक स्थितियों के आलोक में जिंसों के मूल्य में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए वर्ष 2022-23 के नीतिगत अंतर्क्षेपों का प्रभाव, और कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए विस्तारणीय राजकोषीय उपाय, एक विरासत है जिससे उबरने में समय लगेगा। तथापि, भावी नीतिगत दरों संबंधी बाजार प्रत्याशा, वर्ष 2024 की शुरूआत से प्रमुख केन्द्रीय बैंकों द्वारा दर कटौतियों के संकेत से घटी है। इसके प्रत्युत्तर में, इक्विटी बाजार चढ़ा है और बॉडों से आय में गिरावट आयी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

3. इन वैश्विक आर्थिक स्थितियों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सुदृढता प्रदर्शित की है और स्वस्थ वृहत् आर्थिक मूलभूत तत्वों को बनाए रखा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलूक, जनवरी, 2024 में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत हेतु अपने संवृद्धि अनुमान को संशोधित किया है और अक्टूबर 2023 में किए गए 6.3 प्रतिशत के अनुमान को बढ़ा कर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। यह भारत की आर्थिक शक्तियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को परिलक्षित करता है जबकि वर्ष 2023 के लिए वैश्विक संवृद्धि अनुमान 3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

4. नवंबर, 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के जुलाई - सितंबर (दूसरी तिमाही) प्राक्कलनों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल - सितंबर (प्रथम छमाही) में 7.7 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष संवृद्धि दर्ज की है। संगत अवधि में, भारत ने प्रमुख उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम संवृद्धि दर्ज की है। उपभोग और निवेश के लिए मजबूत घरेलू मांग और पूंजी व्यय पर सरकार के सतत जोर वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही में जीडीपी के प्रमुख प्रेरकों के रूप में देखे जाते हैं। आपूर्ति पक्ष में, उद्योग और सेवाएं वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही में प्राथमिक संवृद्धि कारक रहे थे।

5. वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही का संवृद्धि संवेग तीसरी तिमाही में भी बना रहा जैसा कि अक्तूबर-दिसंबर (तीसरी तिमाही) 2023 के दौरान उच्च आवृति संकेतकों (एचएफआई) के प्रदर्शन से देखा गया है। पीएमआई विनिर्माण विस्तारणीय प्रक्षेत्र में बना रहा, जो दिसंबर, 2023 में 54.9 तक पहुंच गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आठ मुख्य उद्योग सूचकांक (आईसीआई) का सुदृढ अक्तूबर प्रदर्शन विनिर्माण गतिविधि में सतत् संवृद्धि को उजागर करता है। जैसा विनिर्माण क्षेत्र में देखा गया, पीएमआई सेवाएं भी पिछले 29 माह में विस्तारणीय प्रक्षेत्र में बनी रही हैं। सेवा क्षेत्र में समग्र भावना उत्साहपूर्ण बनी रही जिसके अन्य कारणों में पर्यटन सह होटल उद्योग में आयी तेजी है। अन्य एचएफआई, जैसे सवारी प्रशुल्क, ई-वे बिलों, और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) अच्छी घरेलू आर्थिक गतिविधि को प्रतिबिंबित करते हैं।

6. आर्थिक गतिविधि में मजबूत संवृद्धि ने राजस्व संग्रहण में वृद्धि की है। दिसंबर, 2023 में जीएसटी संग्रहण ₹1.65 लाख करोड़ रहा। ऐसा सातवीं बार हुआ जब सकल जीएसटी राजस्व ₹1.6 लाख करोड़ के बेंचमार्क से ऊपर गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रथम आठ माह में सरकार के शुद्ध कर राजस्व में सुदृढ संवृद्धि दर्ज हुई है जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित वर्ष दर वर्ष संवृद्धि से उच्चतर है।

7. वित्त वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, भारत की वास्तविक जीडीपी के 7.3 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में सुदृढ़ संवृद्धि के कारण आरबीआई द्वारा (दिसम्बर, 2023 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृद्धि के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किए जाने के भी अनुरूप है।

8. आरबीआई सेवाएं और अवसंरचना आउटलूक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी और चौथी तिमाही में सेवा और अवसंरचना कारोबारों की मांग स्थितियों में सुधार का संकेत देता है। आरबीआई का तिमाही औद्योगिक आउटलूक सर्वेक्षण यह उजागर करता है कि व्यवसाय परिवेश स्थितियां उत्साहवर्द्धक प्रतीत होती हैं क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के कारोबार प्रत्याशा सूचकांक में पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ है।

9. मांग पक्ष की ओर देखें तो जीडीपी(वर्तमान मूल्य पर) में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 के 60.6 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 60.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। जीडीपी (वर्तमान मूल्य पर) में सकल निर्धारित पूंजी संरचना (जीएफसीएफ) का हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 के 29.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 29.8 प्रतिशत होने का प्राक्कलन किया गया है, जिसका कारण पूंजी संरचना पर सरकार का सतत् जोर है। अप्रैल - नवंबर, 2023 के दौरान केन्द्र सरकार का पूंजीगत व्यय ₹5.9 लाख करोड़ है, बजट प्राक्कलनों का 58.5 प्रतिशत और और पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत उच्चतर है। जीडीपी

(वर्तमान मूल्य पर) में निर्यात का हिस्सा वित्त वर्ष 2022-23 के 22.8 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में थोड़ा कम हो कर 21.7 प्रतिशत रहने की अपेक्षा है, क्योंकि वैश्विक मांग में गिरावट आयी है। तथापि, आयात में तीव्र धीमेपन के कारण निवल निर्यात (व्यापार संतुलन) में वित्त वर्ष 2022-23 के (-) 3.7 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 के (-) 2 प्रतिशत हो गया है।

10. आपूर्ति पक्ष में, अल निनो के कारण वर्षा के असमान वितरण के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र की संवृद्धि की दर 1.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। विनिर्माण क्षेत्र में वास्तविक जीवीए वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5 प्रतिशत की दर पर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो बढ़ते उत्पादन और बिक्री विस्तार से संचालित है। निर्माण क्षेत्र के वित्त वर्ष 2023-24 में 10.7 प्रतिशत की दर पर संवृद्धि करने का अनुमान लगाया गया है। सेवा क्षेत्र में संवृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 के 9.5 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस कमी का कारण संविदा सघन सेवा क्षेत्र (व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाओं) में धीमी संवृद्धि है, जो पिछले वर्ष महामारी के उपरांत अर्थव्यवस्था के खुलने के कारण काफी ऊपर गया था। तथापि, वित्तीय क्षेत्र, अचल संपत्ति, एवं पेशेवर सेवाओं ने बढ़ती आवास मांग के बल पर 8.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है।

कृषि

11. कृषि क्षेत्र वित्त वर्ष 2022-23 (अनंतिम अनुमान) में 4 प्रतिशत की दर पर बढ़ा। वर्ष 2022-23 के दौरान उत्पादन के अंतिम प्राक्कलनों के अनुसार, खाद्यान्नों का औसत उत्पादन पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक) की तुलना में 308.7 लाख टन अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है।

12. खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2022-23 में खरीफ की धान खरीद ने निर्विघ्न प्रगति की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रियान्वयन के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2023 तक केन्द्रीय पूल हेतु 860 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक चावल की खरीद की जा चुकी है। केएमएस 2022-23 के वर्तमान धान खरीद संक्रियाओं से 1.2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है और इसके लिए ₹1,71,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ही किसानों के खातों में अंतरित की गयी है।

13. वर्तमान रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2023-24 के दौरान गेहूँ खरीद में भी निर्विघ्न प्रगति हुई है। वर्तमान मौसम में 31 दिसम्बर 2023 तक गेहूँ की कुल खरीद लगभग 300 एलएमटी है, जो पिछले वर्ष की 188 एलएमटी की कुल खरीद से 112 एलएमटी अधिक है।

वाह्य क्षेत्र

14. भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सर्वाधिक 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक वाणिज्या निर्यात हासिल किया है। अप्रैल - दिसम्बर, 2023 के दौरान वाणिज्या निर्यात 317.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जबकि अप्रैल - दिसम्बर, 2022 के दौरान यह 336.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल - दिसम्बर, 2022 के दौरान 548.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वाणिज्या आयात की तुलना में अप्रैल - दिसम्बर, 2023 के दौरान वाणिज्या आयात 505.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा।

15. वर्ष दर वर्ष आधार पर वित्त वर्ष 2023-2024 (अप्रैल-दिसंबर) में ईंधन मूल्य कम रहने और कुल आयात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के हिस्से में अप्रैल-दिसम्बर, 2022 के 28.9 प्रतिशत से गिर कर अप्रैल - दिसंबर, 2023 में 25.5 प्रतिशत रह जाने के कारण और कुछ अन्य कारणों से इस अवधि के दौरान आयात संवृद्धि में गिरावट आयी है। निर्यात की तुलना में आयात में उच्चतर गिरावट के कारण वाणिज्या व्यापार घाटा अप्रैल - दिसम्बर, 2022 के 212.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2023 में 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

16. सेवा व्यापार के संबंध में, भारत का सेवा निर्यात का प्राक्कलित मूल्य अप्रैल - दिसम्बर 2023 में 247.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अप्रैल-दिसम्बर 2022 के 239.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सेवा आयात के प्राक्कलित मूल्य में 4.5 प्रतिशत की गिरावट आयी है जो पिछले वर्ष की उक्त अवधि में 135.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर इस वर्ष 129.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। परिणामस्वरूप, अप्रैल - दिसम्बर 2023 में भारत का सेवा व्यापार का निवल आधिक्य (सरप्लस) अप्रैल - दिसम्बर, 2022 में दर्ज 104.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया है। वाणिज्या व्यापार घाटे में कमी और सेवा व्यापार के कारण अधिक्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम छमाही के 48.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.9 प्रतिशत) की तुलना में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1 प्रतिशत) रह गया है।

17. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में अप्रैल - दिसंबर, 2023 में 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया है जबकि एक वर्ष पूर्व 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ था। इसके कारण अप्रैल - दिसंबर, 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की अभिवृद्धि हुई है। भारत की वाह्य स्थिति में वृहत् आर्थिक स्थिरता और सुधारों, विशेषकर चालू खाता घाटा (सीएडी) में महत्वपूर्ण कमी और विदेशी मुद्रा भंडार के बफर की सुखद स्थिति के बल पर वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय रुपए में स्थिरता आयी है।

मूल्य

18. बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति एक वैश्विक प्रक्रिया है - वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यूके, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और जापान में अधिक रही है। भारत में मुद्रास्फिति का दबाव वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल - नवंबर) में कम रहा, जब औसत खुदरा मुद्रास्फिति वित्त वर्ष 2022-23 की संगत अवधि के 6.95 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 5.45 प्रतिशत रही है। यह गिरावट सरकार द्वारा की गई सक्रिय आपूर्ति पक्ष की पहल के कारण मुख्य (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) मुद्रास्फिति में अनुकूल प्रवृतियों के कारण संभव हो सका। समग्र खुदरा मुद्रास्फिति अब स्थिर है और 2 से 6 प्रतिशत के अधिसूचित सहन सीमा के अंदर है।

धन, बैंकिंग और पूंजी बाजार

19. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक (दिसंबर, 2023 तक) नीतिगत पॉलिसी रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर यथा स्थिति बनाए रखी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संवृद्धि को आलंब प्रदान करते हुए स्थायी आधार पर मुद्रास्फिति को धीरे-धीरे लक्ष्य के साथ संरेखित रखा जाए, समिति ने सौकर्य (एक्कोमोडेशन) को समाप्त करने पर बल दिया है।

20. 22 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, कोष धन (एमओ) में 6.5 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष संवृद्धि दर्ज की है (एक वर्ष पूर्व 11.5 प्रतिशत)। 22 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, प्रचालनगत मुद्रा (सीआईसी) की संवृद्धि में कमी आयी है जो पिछले वर्ष के 8.2 प्रतिशत से घट कर 4.1 प्रतिशत हो गयी है। स्थूल मुद्रा (एम3) संवृद्धि, एक गैर बैंक के बैंक में समामेलन (1 जुलाई 2023 से) के प्रभाव को छोड़कर, 15 दिसंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार 11.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) थी, जबकि यह एक वर्ष पूर्व 8.8 प्रतिशत थी। घटक पक्ष में, संकलित जमा (एडी), जो कि सबसे बड़ा घटक है, जिसने एम3 की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान दिया है। अन्य स्रोतों में, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण का एम3 की वृद्धि में एक बड़ा योगदान रहा था।

21. वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई, जो मई, 2022 से फरवरी, 2023 के दौरान नीतिगत दरों में वृद्धि, ऋण मूल्य निर्धारण की वाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) प्रणाली, और आधिक्य नकदी में कमी का देर से पड़ा प्रभाव था। वर्तमान सख्ती चक्र, अर्थात् मई, 2022 से दिसंबर, 2023 तक, के दौरान निधियों की 1 वर्ष औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 150 बीपीएस की वृद्धि हुई। समग्र रूप से, नये और बकाया रुपए ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में मई, 2022 से नवंबर, 2023 तक क्रमशः 148 बीपीएस और 99 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा पक्ष में, बकाया जमाओं और नये जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में संगत अवधि के दौरान क्रमशः 172 बीपीएस और 213 बीपीएस की वृद्धि हुई।

22. एससीबी की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियों (जीएनपीए) के अनुपात में गिरावट की प्रवृति जारी रही, और यह सितंबर, 2023 के अंत तक 3.2 प्रतिशत रह गई। निम्न जीएनपीए और हाल के वर्षों में संचित उच्च प्रावधानों से सितम्बर, 2023 के अंत तक निवल एनपीए गिरकर 0.8 प्रतिशत रह गई। बैंको के घरेलू प्रचालनों में, मानक आस्तियों और कुल अग्रिमों के बीच का अनुपात सभी बैंक समूहों में बढ़ा और जीएनपीए में समग्र रूप से गिरावट आयी थी।

23. एससीबी का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) आस्ति गुणवत्ता समीक्षा पश्च अवधि में क्रमशः बढ़ता रहा है। सितंबर, 2023 के अंत में, एससीबी का सीआरएआर 16.8 प्रतिशत बना रहा। अक्तूबर, 2021 में अंतिम वितांश के सक्रियन से बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला कुल पूंजीगत संरक्षण बफर (सीसीबी) बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया, जिससे कुल न्यूनतम पूंजी अपेक्षा बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गयी। सितंबर, 2023 के अंत में, सभी बैंकों ने 8 प्रतिशत की इस विनियामक न्यूनतम और सीईटी-1 अनुपात अपेक्षा को पूरा किया। वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही के दौरान, एससीबी की लाभप्रदता, जिसे इक्विटी पर आय और आस्तियों पर आय से मापा जाता है, वर्ष 2014-15 के पिछली बार के स्तर तक बढ़ गई है।

केन्द्र सरकार के वित्तीय साधन

24. महामारी के वर्षों के बाद की अवधि में देखे गए राजकोषीय सुदृढीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, सरकार द्वारा परिकल्पित राजकोषीय प्रवाह मार्ग के अनुरूप राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी के 5.8 प्रतिशत तक गिरने की अपेक्षा है। राजकोषीय घाटा, नवंबर, 2023 के अंत में, बजट प्राक्कलनों का 50.7 प्रतिशत बना रहा जो उसी अवधि के दौरान बजट अनुमान के 94 प्रतिशत के पंचवर्षीय मूविंग औसत से कमतर है। अप्रैल - नवंबर, 2023 में राजस्व घाटा बजट अनुमान का 39.8 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि में 57.8 प्रतिशत के आंकड़े से कम है।

25. पिछले वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में उछाल बना हुआ है, जो सभी प्रमुख प्रत्यक्ष करों और सेवा और वस्तु कर के संग्रहण में मजबूत संवृद्धि के परिणामस्वरूप है। सकल कर राजस्व में अप्रैल - नवंबर, 2023 के दौरान 14.7 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष संवृद्धि दर्ज हुई है और राज्यों को समनुदेशन के उपरांत केन्द्र के निवल कर राजस्व में 17.2 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज हुई है।

26. अप्रैल - नवंबर, 2023 के दौरान केन्द्र सरकार के कुल व्यय में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय का ₹10 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जिसमें से 58 प्रतिशत से अधिक भाग अप्रैल - नवंबर, 2023 के दौरान खर्च किया जा चुका है। अप्रैल - नवंबर, 2023 के दौरान राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

27. वित्त वर्ष 2023-24 में, संशोधित अनुमान में राजकोषीय और राजस्व घाटा जीडीपी का क्रमशः 5.8 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत हैं।

संवृद्धि आउटलूक

28. आईएमएफ के अनुसार, भारत के वर्ष 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (अमेरिकी डॉलर में बाजार विनिमय दर पर) बनने की संभावना है। इसने यह भी अनुमान लगाया है कि वैश्विक संवृद्धि में भारत के योगदान में 5 वर्षों में 200 आधार बिन्दुओं की वृद्धि होगी।

29. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई ने 7.0 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है।

वृहत आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण					
(आर्थिक प्रदर्शन पर एक नजर)					
क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत बदलाव	
		अप्रैल-दिसम्बर		अप्रैल-दिसम्बर	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
	संपदा क्षेत्र				
1	**जीडीपी बाजार मूल्यों पर (₹ हजार करोड़) @**				
(क)	वर्तमान कीमत पर	27,241	29,658	16.1	8.9
(ख)	2011-12 की कीमत पर	16,006	17,179	7.2	7.3
2	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक@@	134.3	143.5	5.3	6.9
3	थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100) ^	153.1	151.4	11.6	-1.1
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकः सम्मिलित (2012=100) ^	174.0	183.6	6.8	5.5
5	उपलब्ध मुद्रा (एम 3) (₹ हजार करोड़) $	21,484.5	23,986.3	8.8	11.6
6	**मौजूदा कीमत पर आयात ***				
(क)	करोड़ में	43,73,218	41,79,191	33.3	-4.4
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	5,48,640	5,05,146	24.3	-7.9
7	**मौजूदा कीमत पर निर्यात ***				
(क)	करोड़ में	26,77,325	26,23,069	18.1	-2.0
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	3,36,299	3,17,121	10.2	-5.7
8	व्यापार शेष (यूएस डॉलर मिलियन) *	-2,12,341	-1,88,025	55.6	-11.5
9	**विदेशी मुद्रा आस्तियां ***				
(क)	करोड़ में	47,54,265	51,58,895#	3.4	8.5
(ख)	यूएस डॉलर मिलियन में	5,78,449	6,20,441#	-4.8	7.3
10	चालू खाता शेष #	-48.8	-17.5	-	-
	सरकारी वित्तीय साधन##				
1	राजस्व प्राप्तियां	14,23,152	17,20,120	4.8	20.9
2	सकल कर राजस्व	17,80,654	20,42,027	15.5	14.7
3	कर राजस्व (केंद्र के प्रति निवल)	12,24,833	14,35,755	7.9	17.2
4	कर-भिन्न राजस्व	1,98,319	2,84,365	-11.1	43.4
5	पूंजीगत प्राप्तियां जिसमें से	10,19,635	9,32,047	42.3	-8.6
6	ऋणों की वसूली	13,052	16,604	15.1	27.2
7	अन्य प्राप्तियां	28,429	8,859	203.6	-68.8
8	उधारी एवं अन्य देयताएं	9,78,154	9,06,584	40.6	-7.3
9	कुल व्यय	24,42,787	26,52,167	17.7	8.6
10	राजस्व व्यय	19,95,674	20,66,522	10.8	3.6
11	पूंजीगत व्यय	4,47,113	5,85,645	63.4	31.0
12	राजस्व घाटा	5,72,522	3,46,402	29.3	-39.5
13	राजकोषीय घाटा	9,78,154	9,06,584	40.6	-7.3
14	प्राथमिक घाटा	4,32,955	2,98,621	85.1	-31.0

@: अप्रैल से मार्च 2022-23 के लिए जीडीपी एक अनंतिम आकलन है, और 2023-24 प्रथम अग्रिम आकलन है।

@@: अप्रैल से अक्तूबर

^: 2023-24 के लिए अनंतिम और अप्रैल से नवम्बर के लिए आंकड़े।

*: सीमा शुल्क आधार पर।

$: 15 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार बकाया, और वर्ष-प्रति-वर्ष प्रतिशत बदलाव।

#:अप्रैल से सितम्बर।

##: लेखा महानियंत्रण, वित्त मंत्रालय द्वारा अप्रैल से नवम्बर, 2023 के लिए जारी किए गए मासिक लेखा के आंकड़ों पर आधारित।

2. मध्यावधिक राजकोषीय नीति सह-राजकोषीय नीति का कार्यनीति विवरण

1. कोविड-19 महामारी के फैलने के समय से भारत की राजकोषीय नीति का दृष्टिकोण यह रहा है कि (महामारी को रोकने के लिए) विकास/कल्याण संबंधी व्यय को बढ़ाया जाए और साथ ही, आर्थिक बहाली में तेजी लाने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जाए। चूंकि राजकोषीय समेकन के लिए पूर्व-नियत वार्षिक लक्ष्यों वाली कार्यनीति की विशेषकर इस अनिश्चितता के दौर में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, इसलिए मध्यावधिक राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति यह रही है कि ऐसा अंशशोधित दृषिकोण अपनाया जाए जिससे देश के वृहद आर्थिक मूल आधारों से समझौता किए बगैर विकास की गति और राजकोषीय समेकन को सशक्त करने की जरूरत के बीच सुविचारित संतुलन बनाया जा सके।

2. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) द्वारा जारी किए गए प्रथम अग्रिम आकलन के अनुसार वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.3 प्रतिशत होने की बात कही गई थी। इस दर पर, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। हालांकि, वर्तमान में चल रहे भू-राजनैतिक विवाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेषकर खाद्य पदार्थ एवं ऊर्जा की आपूर्तियों, को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 2023 में 3 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत की अपेक्षित वैश्विक संवृद्धि, जैसा कि आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक परिदृश्य (अक्तूबर, 2023) में अनुमानित की गई थी, की तुलना में हुई धीमी संवृद्धि ऐसे कुछ कारक हैं जिन पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

3. पूर्वोक्त संदर्भ में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संघीय बजट का उद्देश्य पूंजीगत व्यय पर नए सिरे से जोर देते हुए, विवेकसम्मत राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से निर्धन एवं कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा आवरण को सुदृढ़ करके संवृद्धि (ग्रोथ) को निरंतर बनाए रखना है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (ब.अ.) के संबंध में केंद्र सरकार के प्रमुख राजकोषीय सूचक, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, नीचे तालिका में सार रूप में दिए गए हैं।

राजकोषीय सूचक - जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आवर्ती लक्ष्य

	संशोधित अनुमान	**बजट अनुमान**
	2023-24	**2024-25**
1. राजकोषीय घाटा	5.8	5.1
2. राजस्व घाटा	2.8	2.0
3. प्राथमिक घाटा	2.3	1.5
4. कर राजस्व (सकल)	11.6	11.7
5. कर-भिन्न राजस्व	1.3	1.2
6. केन्द्र सरकार ऋण	58.1	57.2

टिप्पणी:

1. "जीडीपी" *वर्तमान बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है।*
2. *केंद्र सरकार के ऋण में वर्तमान विनिमय दरों पर आंके गए बाह्य सरकारी ऋण, एनएसएसएफ और ईबीआर देयताओं के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित लोक लेखा पर कुल बकाया देयताएं आदि सम्मिलित हैं।*
3. *एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रति देयताएं सं.अ. 2023-24 और ब.अ.2024-25 में क्रमशः जीडीपी के 1.1 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत हैं। इन देयताओं को घटाए जाने पर केंद्र सरकार का ऋण सं.अ. 2023-24 और ब.अ.2024-25 में क्रमशः जीडीपी का 57.1 प्रतिशत और 56.3 प्रतिशत बनता है।*

4. ऊपर बताए गए कारणों के नाते यह विवरण मध्यावधिक राजकोषीय प्रोजेक्शनों को रेखांकित नहीं करता है। इसके बजाए, और जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी स्तर से नीचे 4.5 प्रतिशत तक ले जाने के लिए राजकोषीय समेकन के सामान्य प्रवाह पथ पर चलना जारी रखेगी। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप सं.अ. 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.8 प्रतिशत होने का प्रोजेक्शन किया गया है जो 5.9 प्रतिशत के बजट अनुमानों से कम है। यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत होगा।

5. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय प्रतिबद्धताओं/बाध्यताओं और अधिनियम की धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन बाध्यताओं से विचलन होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण इस विवरण के अंत में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय दृष्टिकोण एवं राजकोषीय नीतिगत कार्यनीति

6. अप्रैल से नवम्बर 2023 के दौरान केंद्र सरकार का कुल व्यय (राजस्व और पूंजीगत) ₹26.52 लाख करोड़ था जो बजट अनुमान 2023-24 का 58.9 प्रतिशत है। कुल व्यय के भीतर पूंजीगत व्यय में 31.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह ₹5.86 लाख करोड़ बना रहा है। प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसे पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय जमा (प्लस) सहायता अनुदान के रूप में परिभाषित किया गया है, ₹7.61 लाख करोड़ था और इसमें वित्त वर्ष 2022-23 की संगत अवधि की तुलना में 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

7. प्राप्तियों के संदर्भ में, अप्रैल-नवम्बर 2023 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनी रही। वित्त वर्ष 2022-23 की संगत अवधि की तुलना में प्रथम आठ महीनों में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में लगभग 14.7 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ोतरी दर्ज हुई। साथ ही, इसी अवधि के दौरान, केंद्र की कुल राजस्व प्राप्तियां (केंद्र का निवल कर और कर-भिन्न राजस्व) जो बजट अनुमान का लगभग 65.3 प्रतिशत है जो पिछले पांच वर्षों के ब.अ. के 56.2 प्रतिशत के चल औसत की तुलना में कहीं अधिक थी। अलग-अलग रूप में देखें तो अप्रैल-नवम्बर 2023 के दौरान कर राजस्व (केंद्र का निवल) और कर-भिन्न राजस्व अपने बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 61.6 प्रतिशत और 94.3 प्रतिशत था।

8. वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ महीनों में, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः लगभग 24.7 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत की वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ोतरी दर्ज हुई। प्रत्यक्ष करों के भीतर, निगम कर और आयकर में अप्रैल-नवम्बर 2023 के दौरान क्रमशः 20.1 प्रतिशत और 29.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। घरेलू अर्थव्यवस्था में आई तेजी से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का बेहतर संग्रहण हुआ है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में अप्रैल-नवम्बर 2022 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 2023 के दौरान 13.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

9. भारत सरकार के कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) में मुख्यतया लोक उपक्रमों से ब्याज, लाभांश, सेवाओं से प्राप्तियां, आदि समाहित होते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ महीनों के लिए एनटीआर संग्रहण ₹2.84 लाख करोड़ था जो ब.अ. का 94.3 प्रतिशत और ब.अ. के 65.7 प्रतिशत के पांच वर्षों के चल औसत से कहीं अधिक था।

10. ₹84,000 करोड़ की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के बजटीय लक्ष्य के प्रति नवम्बर, 2023 तक का संग्रहण ₹25,463 करोड़ या ब.अ. का 30.3 प्रतिशत था।

11. नवम्बर 2023 के अंत में, केंद्र का राजकोषीय घाटा ₹9.07 लाख करोड़ था जो बजट अनुमानों का 50.7 प्रतिशत था। एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 7 के अंतर्गत राजकोषीय आकलन बनाम मध्यवर्षीय बेंचमार्क का वित्त वर्ष 2023-24 की प्रथम छमाही में विश्लेषण किया गया था, और एफआरबीएम नियम के अंतर्गत विहित तीन मध्यवर्षीय बेंचमार्कों में से किसी में भी वर्ष के प्रति कोई विचलन नहीं देखा गया।

12. विकास (ग्रोथ) की रफ्तार में और तेजी लाने के लिए सरकार ने राज्यों को अपने-अपने संबंधित पूंजीगत खर्चे बढ़ाने के लिए ब.अ. 2023-24 में ब्याज-मुक्त ऋण के मद में उन्हें ₹1.3 लाख करोड़ आबंटित किए। वर्ष 2022-23 से राज्यों को करों के हिस्सा देने योग्य आगमों के अंतरण के जारी किए जाने की तिथि प्रत्येक महीने की 20वीं तारीख से पहले करके 10वीं तारीख कर दी गई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, केंद्र सरकार ने ₹10.21 लाख करोड़ के ब.अ.2023-24 के लक्ष्य के प्रति जनवरी, 2024 तक राज्यों को पहले ही 12 किश्तों (2 अग्रिम किश्तों सहित) में हिस्सा देने योग्य आगमों का ₹8.20 लाख करोड़ जारी कर दिया है।

13. सं.अ. 2023-24 में कुल व्यय ₹44.90 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹45.03 लाख करोड़ के ब.अ. की तुलना में थोड़ा कम है। यह वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़ों के प्रति 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। राजस्व खाते पर व्यय सं.अ. में ₹35.40 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जबकि यह वित्त वर्ष 2023-24 में ब.अ.में ₹35.02 लाख करोड़ था। सं.अ. में पूंजीगत खाते के अंतर्गत व्यय ₹9.50 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जबकि यह ब.अ.2023-24 में ₹10.0 लाख करोड़ था।

14. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अंतरण जैसे कि पूंजीगत सृजन के लिए सहायता अनुदान भी हुए हैं जिनका राजस्व व्यय के रूप में लेखा-जोखा रखा गया है। हालांकि, उनके आर्थिक प्रभाव को देखते हुए वे प्रधानतया पूंजीगत स्वरूप की हैं। पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान सं.अ. 2023-24 में ₹3.21 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावी पूंजीगत व्यय अथवा जीआईए-पूंजी और पूंजी व्यय संशोधित अनुमान 2023-24 में लगभग ₹12.71 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

15. सं.अ. 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जो वित्त वर्ष 2023-24 के ब.अ. से थोड़ा कम है। सं.अ. 2023-24 में राजस्व घाटे के जीडीपी के 2.8 प्रतिशत के कमतर दर पर होने की उम्मीद की जाती है जबकि ब.अ. 2023-24 में यह 2.9 प्रतिशत था।

16. दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सेक) के माध्यम से सकल एवं निवल उधारियां ब.अ. 2023-24 में क्रमशः ₹15.43 लाख करोड़ और ₹11.81 लाख करोड़ होने की योजना बनाई गई थी। 08 जनवरी, 2024 तक सरकार ने लगभग 7.25 प्रतिशत के भारित औसत प्रतिफल और लगभग 17.93 वर्षों की भारित औसत परिपक्वता के साथ क्रमशः ₹13.40 लाख करोड़ और ₹10.37 लाख करोड़ की सकल एवं निवल उधारियां पूरी कर ली हैं। जीडीपी के प्रतिशत के

रूप में सकल उधारियां 5.2 प्रतिशत पर स्थिर बने रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल उधारियों के वित्त वर्ष 2022-23 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में सं.अ. 2023-24 में घट कर 4.0 प्रतिशत होने की उम्मीद की गई है।

17. केंद्र सरकार ने अपने समग्र उधारी सीमाओं के भीतर वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय ग्रीन बांड जारी किया था। इसने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹16,000 करोड़ जुटाया और यह ब.अ. 2023-24 में ₹20,000 करोड़ का बांड जारी करने की उम्मीद करती है। 08 जनवरी, 2024 तक सरकार ने ₹10,000 करोड़ का राष्ट्रीय ग्रीन बांड जारी किया है। इसके और अधिक ब्यौरे व्यय प्रोफाइल के विवरण सं. 15क में दिए गए हैं।

18. एफआरबीएम परिभाषा के आधार पर केंद्र सरकार का ऋण सं.अ. 2023-24 में जीडीपी का 58.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। उपर्युक्त संख्या में एनएसएसएफ के अंतर्गत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के प्रति देयताएं भी शामिल हैं जिसके सं.अ. 2023-24 में जीडीपी के 1.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इन देयताओं को घटाने से केंद्रीय सरकार का ऋण सं.अ. 2023-24 में जीडीपी का 57.1 प्रतिशत बनता है।

19. एफआरबीएम अधिनियम केंद्र सरकार को यह अधिदेश देती है कि वह गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं का आकलन करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्दिष्ट करे। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(1)(ग) के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वृद्धिपरक गारंटियां ग्रहण करने के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा विहित की गई है। संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में लगभग ₹3.14 लाख करोड़ थीं जो जीडीपी का 1.2 प्रतिशत थीं और वित्त वर्ष 2004-05 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के स्तर से कम हो गई। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, गारंटियों के स्टॉक में निवल अनुवृद्धि ₹60,594 करोड़ या जीडीपी का 0.2 प्रतिशत थी, जो एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत नियत 0.5 प्रतिशत की सीमा से अच्छी-खासी मात्रा में कम थी। बकाया प्राप्तियों पर प्रकटन विवरण प्राप्ति बजट 2023-24 के भाग ख के साथ संलग्न है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय परिदृश्य

20. अक्तूबर, 2023 में आईएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार *"वैश्विक अर्थव्यवस्था फर्राटे से चलने के बजाए लड़खड़ा रही है"*। इसे वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेसलाइन केस के रूप में लिया जा सकता है। इसे देखते हुए, भारत की राजकोषीय नीति को, सशक्त वृहद आर्थिक पैरामीटर बनाए रखते हुए घरेलू अर्थव्यवस्था को आवश्यक समर्थन देने के लिए तदनुरूप अंशशोधित किया जाना चाहिए। घरेलू मोर्चे पर ग्रोथ में तेजी जारी रहने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2024-25 में सांकेतिक जीडीपी में वित्त वर्ष 2023-24 के अग्रिम अनुमानों की तुलना में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है।

21. ब.अ. 2024-25 में राजकोषीय घाटा के जीडीपी के 5.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि यह सं.अ. 2023-24 में जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था। निरपेक्ष दृष्टि से ब.अ. 2024-25 में राजकोषीय घाटा ₹16.85 लाख करोड़ होने की उम्मीद है जो सं.अ. 2023-24 में ₹17.35 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे से कम है। ब.अ. 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि यह सं.अ. 2023-24 में जीडीपी का 2.8 प्रतिशत था।

राजस्व प्राप्तियां (कर एवं कर-भिन्न)

22. ब.अ. 2024-25 के लिए, सकल कर राजस्व (जीटीआर) सं.अ. 2023-24 की तुलना में 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह 1.10 की कर बढ़ोतरी (उछाल) दर्शाता है। जीटीआर के भीतर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अलग-अलग क्रमशः 13.1 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुमान लगाया गया है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीटीआर में क्रमशः 57.4 प्रतिशत और 42.6 प्रतिशत का अंशदान देंगे। ब.अ.2024-25 में जीटीआर के प्रति जीडीपी अनुपात 11.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जो 2023-24 के सं.अ. की तुलना में 0.1 प्रतिशत अधिक है। ब.अ. 2024-25 में कर राजस्व (केंद्र को निवल) का ₹26.01 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है।

23. संघीय सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जिनमें कर राजस्व (केंद्र का निवल) और कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) समाहित होते हैं, ब.अ. 2024-25 में ₹30.01 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 के सं.अ. की तुलना में 11.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की गई है। कर राजस्व (केंद्र का निवल) और एनटीआर से राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 86.7 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत का अंशदान मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनटीआर के ₹3,99,701 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जो सं.अ. 2023-24 के ₹3,75,795 करोड़ की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

24. ब.अ. 2024-25 में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ₹79,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें ऋणों एवं अग्रिमों की रिकवरी के अंतर्गत प्राप्तियां (₹29,000 करोड़), अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियां (₹50,000 करोड़) सम्मिलित हैं। अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली विद्यमान बाजार स्थितियों पर काफी अधिक निर्भर करती है।

व्यय

25. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में, कुल व्यय ₹47.66 लाख करोड़ होने का अनुमान है। व्यय में सं.अ. 2023-24 की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

पूंजीगत व्यय

26. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग ₹11,11,111 करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का परिव्यय

है। बजटीय पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2019-20 के पूंजीगत व्यय का लगभग 3.3 गुना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों के हाथों को मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम, ₹1.3 लाख करोड़ के कुल परिव्यय (जो वित्त वर्ष 2024-25 की जीडीपी का लगभग 0.4 प्रतिशत बनता है) के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 में भी जारी रखी गई है।

राजस्व व्यय

27. वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में राजस्व खाते पर व्यय लगभग ₹36.55 लाख करोड़ (जीडीपी का 11.2 प्रतिशत) होने का अनुमान लगाया गया है जो सं.अ. 2023-24 के ₹35.40 लाख करोड़ की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक है। राजस्व व्यय के अंतर्गत कुछेक उल्लेखनीय मदों पर आगे के पैराग्राफों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

(i) **ब्याज भुगतान**

28. ब्याज भुगतान का अनुमान बाजार में विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए मौजूदा ब्याज दर के आधार पर लगाया गया है। विभिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज दर परिवर्तनीय स्वरूप की है। बजट अनुमान 2024-25 में ब्याज भुगतान बिल ₹11.90 लाख करोड़ रहने के अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में जीडीपी के 3.6 प्रतिशत की समान दर पर है।

(ii) **मुख्य सब्सिडी**

29. मुख्य सब्सिडी में खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सब्सिडी शामिल है, जिनका राजस्व व्यय में मुख्य भागीदारी है। मुख्य सब्सिडी जो ₹3.81 लाख करोड़ है जो बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय का लगभग 10.4 प्रतिशत है। जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में मुख्य सब्सिडी, 2023-24 के संशोधित अनुमान के 1.4 प्रतिशत से कम होकर 2024-25 के बजट अनुमान में 1.2 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा पीएमजीकेएवाई मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम को आगे बढ़ाए जाने के कारण संशोधित अनुमान 2023-24 में खाद्य सब्सिडी बजट अनुमान 2023-24 के ₹1.97 लाख करोड़ की तुलना में बढ़ाकर ₹2.12 लाख करोड़ हो गई। इसी प्रकार उर्वरक सब्सिडी को वैश्विक बाजार में उर्वरक के मूल्य में हुई वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव से किसानों को बचाने के लिए बढ़ाया गया था।

(iii) **वित्त आयोग अनुदान**

30. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान प्रदान किया जाता है। बजट अनुमान 2024-25 में वित्त आयोग का अनुदान ₹1.32 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत राज्यों, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान की राजस्व कमी संबंधी अनुदान क्रमशः ₹0.24 लाख करोड़, ₹0.26 लाख करोड़ तथा ₹0.50 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

(iv) **पेंशन**

31. पेंशन भुगतान भारत सरकार के चार मुख्य अनुदान मांग अर्थात रक्षा (पेंशन), सिविल (पेंशन), दूरसंचार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का भाग है। जबकि सिविल (पेंशन) में सभी विभागों का कवर किया जाता है, जबकि तीन अन्य मांगों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/विभागों के पेंशन व्यय तथा पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार को कवर किया जाता है। केंद्र सरकार का पेंशन संबंधी व्यय बजट अनुमान 2024-25 में ₹2.40 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो अनुमानित जीडीपी का 0.7 प्रतिशत है।

(v) **राज्यों को कर का अंतरण**

32. वित्तीय वर्ष 2024-25 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय की अवधि का पाँचवा वर्ष होगा। इसकी सिफारिशों के आधार पर अंतरित किए जाने वाले करों में राज्यों की हिस्सेदारी जिसका बजट अनुमान 2023-24 में ₹10.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया था जो संशोधित अनुमान में काफी बढ़कर ₹11.04 लाख करोड़ हो गया। बजट अनुमान 2024-25 में राज्यों को अंतरित किए जाने वाले कर ₹12.20 लाख करोड़ रहने का आकलन किया गया है, जो जीडीपी का 3.7 प्रतिशत है।

उधार- सार्वजनिक ऋण तथा अन्य देनदारियां

33. केंद्रीय सरकार मुख्यतः दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करके अपनी राजकोषीय हानि को पूरा करती है। बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लगभग ₹14.13 लाख करोड़ तथा ₹11.75 लाख करोड़ का क्रमशः सकल तथा निबल उधार लिए जाने का अनुमान लगाया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹15.43 लाख करोड़ के सकल उधार और ₹11.80 लाख करोड़ के निबल उधार की तुलना में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत कम है। तथापि, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सकल और निबल उधार बजट अनुमान 2023-24 के 5.2 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की तुलना में संशोधित अनुमान 2023-24 में कम होकर 4.3 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

34. राजकोषीय कमी के वित्त पोषण का अन्य स्रोत केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, निबल बाह्य सहायता तथा लोक लेखा संतुलन आदि है। बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय कमी के वित्तपोषण के लिए एनएसएसएफ से ₹4.66 लाख करोड़ का उधार लिए जाने का अनुमान है, जबकि बाह्य स्रोतों तथा राज्य भविष्य निधियों से क्रमशः ₹15,952 करोड़ तथा ₹5,200 करोड़ (निवल आधार पर) उधार लिए जाने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कुल वित्तपोषण में बाजार से लिए जाने वाले उधार और एनएसएसएफ की हिस्सेदारी क्रमशः 69.7 प्रतिशत और 27.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

35. एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार 'केंद्र सरकार के ऋण' की परिभाषा के अनुसार केंद्र सरकार का ऋण बजट अनुमान 2024-25 में जीडीपी का 57.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में जीडीपी के 58.1 प्रतिशत से कम है। बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार की समग्र देनदारियों में (एफआरबीएम परिभाषा के अनुसार) जीडीपी का 52.1 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण जीडीपी का 4.7 प्रतिशत भारत के लोक लेखा खाते में अन्य देनदारियां है।

देनदारियों में सार्वजनिक ऋण का भाग में मुख्य संघटक आंतरिक सार्वजनिक ऋण है और शेष बाह्य ऋण संघटक है। बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र का बाह्य ऋण कुल देनदारी का 4.4 प्रतिशत है। यह ऋण कई एजेंसियों से लिए गए हैं।

36. कुल सार्वजनिक ऋण जिसमें केंद्र के अंकित मूल्य पर बाह्य ऋण तथा बजट प्राप्तियों (विवरण 1(i)) में दर्शाए गए अनुसार संशोधित अनुमान 2023-24 में ₹152.0 लाख करोड़ की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में ₹168.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपी के 51.3 प्रतिशत पर बने रहने का अनुमान है। तथापि, यदि बाह्य ऋण का मूल्य निर्धारण वर्तमान विनिमय दर पर निर्धारित किया जाता है तो बजट अनुमान 2024-25 में सार्वजनिक ऋण जीडीपी के 52.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

37. भारत के लोक लेखा के संबंध में बकाया देनदारी का बड़ा भाग राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश के कारण है (जो वास्तव में राज्य सरकारों की देनदारियां होती हैं।) और जिसका भुगतान राज्यों द्वारा परिपक्वता के समय किया जाएगा। यदि ऐसे निवेश को इसमें से हटा दिया जाता है तो केंद्र सरकार का समायोजित ऋण, वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण पर मूल्य निर्धारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में जीडीपी के 56.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

निम्नलिखित से संबंधित संपोषनीयता का आकलन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

38. बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय क्रमशः ₹30.01 लाख करोड़ और ₹36.55 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। यह बजट अनुमान 2024-25 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के 82.1 प्रतिशत होने को दर्शाता है। यदि पूंजी सृजन के संबंध में राज्यों को अपेक्षित सहायता अनुदान समायोजन पर विचार किया जाता है तो राजस्व की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात बजट अनुमान 2024-25 में 91.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के 83.9 प्रतिशत से अधिक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का बड़ा भाग पूंजी सृजन के लिए सहायता अनुदान के रूप में है (इन्हें केंद्र सरकार के खातों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है हालांकि ऐसे अनुदान का अंतिम उपयोग पूंजी स्वरूप का है)।

(ii) उत्पादनकारी आस्तियां सृजित करने के लिए बाजार से लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

39. राजकोषीय घाटे की तुलना में पूंजीगत व्यय के अनुपात का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि उधार लिए गए संसाधनों का उपयोग किस सीमा तक पूंजीगत व्यय के लिए वित्तपोषण अथवा सरकार के आस्ति सृजन के लिए किया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में यह अनुपात 65.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के 54.8 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2022-23 के 42.6 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय अथवा प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियां सृजित करने के लिए सहायता अनुदान) की व्यापक परिभाषा पर विचार किया जाता है तब इसका अनुपात संशोधित अनुमान 2023-24 के 73.3 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में 88.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय कार्यनीति

40. वर्ष 2024-25 की राजकोषीय कार्यनीति में विकास को बढ़ावा देने/कल्याण संबंधी प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाना जारी रहेगा। इसके अलावा राजकोषीय विवेक के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय पर भी ध्यान दिया जाएगा।

कर नीति

41. कर नीति का समग्र मध्यावधिक जोर शुल्क दर संरचना को युक्तिसंगत बनाने तथा कर के आधार को व्यापक बनाना है। वर्ष 2024-25 के बजट में सकल कर राजस्व (जीटीआर) के जीडीपी के 11.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

42. अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत प्राप्तियां बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः-

(i) अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कई करदाताओं को इ-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अध्यधीन वस्तुओं की अंतर-राज्य आपूर्ति की अनुमति दी गई है।

(ii) एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए विशेष संयोजन योजना आरंभ की गई है। संयोजन योजना के अंतर्गत कवर किए गए सेवा प्रदाता को शर्तों को पूरा करने के पश्चात एक वार्षिक विवरणी दर्ज करना और सेवा की जीएसटी का तिमाही भुगतान करना अपेक्षित है।

(iii) खाता एग्रीगेटर को प्रणालियों ने अधिसूचित किया गया है जिनके साथ पंजीकृत व्यक्ति/करदाता द्वारा दी गई सहमति के आधार पर सामान्य पोर्टल के द्वारा सूचना साक्षा की जा सकती है।

(iv) अभिचिन्हित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया गया है, जिसमें ग्राहकों को उनकी खरीद के लिए जीएसटी इनवॉइस की मांग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु मेरा बिल मेरा अधिकार एप पर बी2सी इनवॉइस अपलोड करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।

(v) कैसिनो, हॉर्स रेसिंग तथा ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्तिकर्ताओं के कराधान के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में संशोधन किए गए हैं।

(vi) एप्लिकेशन पंजीकरण की जोखिम रेटिंगः जोखिम वाले प्रयोगकर्ता की पहचान करने तथा जीएसटी में धोखाधड़ीपूर्ण पहुंच को रोकने के लिए आंकड़ा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा का प्रयोग करके पंजीकरण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है।

43. निरंतर अधिक जीएसटी की प्राप्ति जीएसटी प्रणाली के परिपक्व होने को दर्शाता है। बजट अनुमान 2024-25 में जीएसटी प्राप्ति के ₹10.68 लाख करोड़ होने का अनुमान है जो विगत संशोधित अनुमान की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है।

44. मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के अंतर्गत मूल्यवर्धन करके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए मूल सीमा कर (बीसीडी) दर को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

45. सभी गैर प्रशुल्क उपायों के लिए केंद्रीय रिपोजेट्रीः सभी पीजीए द्वारा जारी एनटीएम को अभिचिन्हित करने के लिए केंद्रीयकृत नियंत्रण संख्या (सीसीएन) जारी करने हेतु वैश्विक रूप से स्वीकार्य यूएनसीटीएडी पद्धति के आधार पर सीबीआईसी ने एक प्रक्रिया तैयार की है।

46. इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (आईसीईजीएटीई) 2.0ः आईसीईजीएटीई 2.0 की वेबसाइट को प्रयोक्ता को बेहतर अनुभव के लिए तत्कालीन यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है।

47. बजट अनुमान 2024-25 में निगम कर के ₹10.43 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार बजट अनुमान 2024-25 में आय पर कर ₹11.56 लाख करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 से 13.1 प्रतिशत अधिक है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आरंभ किए गए कुछेक महत्वपूर्ण सुधार उपाय निम्नानुसार हैः-

(क) टीडीएस/टीसीएस के क्षेत्र का विस्तारः विदेशी बिप्रेषण जैसे नए लेनदेन, लग्जरी कारों की खरीद ई-कॉमर्स भागीदारों को शामिल करके टीडीएस और टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया है।

(ख) कारोबार पुनर्गठन का उत्तराधिकारः आयकर अधिनियम में एक नया उपबंध पुरः स्थापित किया गया है जिसमें अधिकार प्राप्त करने वाली संस्था को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित पुनर्गठन आदेश के छह माह के भीतर संशोधित विवरणी दायर करना अपेक्षित है।

(ग) ई-सत्यापन योजनाः यह योजना कर अपवंचन को कम करने के लिए आयकर का निर्धारण समुचित और व्यापक रूप से करने के लिए प्राधिकरणों को सूचना एकत्र करने में सक्षम बनाती है।

(घ) पैन का उपयोग अब कई सरकारी विभागों और सेवाओं को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कारोबार पहचान संख्या (बीआईएन) के रूप में किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 47.09 लाख नए ई-पैन आवंटित किए गए हैं।

(ङ) द्विरावृति को रोकने की सुविधा के लिए पैन और आधार को जोड़ा गया है। 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल 58.76 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया है।

(च) सेवी द्वारा एफपीआई को पंजीकरण प्रदान करने और पैन आवंटित और जारी करने के लिए संबद्ध करने का कार्य किया गया है।

(छ) एक समेकित ई-फाइलिंग और केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र 2.0 (सीपीसी 2.0) प्रयोजना का शुभारंभ बेहतर ई-फाइलिंग अनुभव, अनुपालन को सहज बनाने, आईटीआर की प्रोसेसिंग समुचित और तीव्रता से करने के उद्देश्य से किया गया है। 31 दिसम्बर, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.18 करोड़ आईटीआर फाइल किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की तद्नुरूपी अवधि के दौरान फाइल किए गए आईटीआर से 9 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 8 करोड़ आईटीआर को सत्यापित कर लिया गया है।

(ज) कर सूचना नेटवर्क 2.0ः एक नए भुगतान प्रणाली टीआईएन 2.0 का शुभारंभ करों को रियल टाइम में जमा करने के साथ-साथ करदाताओं के बैंक खाते में तीव्रता से रिफंड करने के लिए किया गया है। 27 नवम्बर, 2023 तक ₹12.54 लाख करोड़ की राशि के छह करोड़ चालान की प्रोसेसिंग की गई है।

व्यय नीति

48. भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्वपूर्ण साधन के रूप में करना जारी है। सिंगल नोडेल एजेंसी (एसएनए) तथा केंद्रीय नोडेल एजेंसी (सीएनए) दिशा-निर्देशों में अंतिम लाभार्थियों तक धनराशि पहुंचने की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। ई-बिल प्रोसेसिंग प्रणाली में आपूर्तिकर्ता और संविदाकार अपना दावा ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।

49. एसएनए स्पर्श अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास है जिसमें राज्य आईएफएमआईएस के समेकित नेटवर्क, आरबीआई के ई-कुबेर के माध्यम से केंद्र तथा राज्य, दोनों की समेकित निधि से निधि का प्रवाह 'जस्ट इन टाइम' के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना का प्रायोगिक शुभारंभ को 01.08.2023 से चरणबद्ध पद्धति में अधिसूचित किया गया है इसमें

पांच राज्यों (राजस्थान, ओडिसा, कर्नाटक, तेलांगाना और झारखंड) तथा दो योजनाओं को शामिल किया गया है।

50. बहुआयामी कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक अनिवार्य डिजीटल प्लेटफॉर्म है जिसमें अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समेकित आयोजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने और इस प्रकार लागत इष्टतमीकरण की परिकल्पना की गई है।

सरकार द्वारा ऋण लेना, ऋण देना और निवेश

51. भारत की ऋण प्रबंधन कार्यनीति तीन प्रमुख स्तंभों पर टिकी है ये हैं:- निम्न लागत पर ऋण लेना, जोखिम को कम करना और बाजार का विकास। तद्नुसार, कार्यनीतिक मानदंड ब्याज दर, मुद्रा और समग्र परिपक्वता जैसी विशिष्टताओं के संदर्भ में ऋण पोर्टफोलियों का ढांचा और संरचना तय करते हैं। सरकार की मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति में मध्यावधि से दीर्घावधि में सरकार के लिए ऋण लेने की लागत को कम करने का प्रयास निहित है। इस कार्य को उपयुक्त दस्तावेज जारी करके और परिपक्वताओं की अवधि को लंबी करके तथा प्रतिभूतियों का अंतरण करके इनकी वापसी खरीद करते हुए विस्तारित जोखिम को नियंत्रित करते हुए किया जाना आवश्यक है। इससे फ्लोटिंग दर पर ऋण को कम रखते हुए ब्याज दर का जोखिम भी कम होगा और घरेलू मुद्रा में ऋण जारी करके विदेशी मुद्रा के जोखिम का भी प्रबंधन किया जा सकेगा।

52. वित्त वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिया गया सकल और निवल बाजार ऋण क्रमशः ₹15.43 लाख करोड़ तथा ₹11.81 लाख करोड़ था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए राजकोषीय बिलों के माध्यम से लिया गया निवल ऋण ₹50,000 करोड़ था। दिनांकित प्रतिभूतियों और राजकोषीय बिलों के माध्यम से लिए गए निवल बाजार ऋणों से वित्त वर्ष 2023-24 (ब.अ.) में राजकोषीय घाटे (एफडी) का 68.89 प्रतिशत भाग पोषित किया जाना निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 (8 जनवरी, 2024 तक) में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिए गए सकल और निवल बाजार ऋण कुल ₹13.40 लाख करोड़ के थे अर्थात जिनमें क्रमशः वित्त वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के सकल ऋणों का 86.8 प्रतिशत भाग तथा वित्त वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के निवल ऋणों का 79.6 प्रतिशत भाग यानि ₹9.40 लाख करोड़ था।

53. विदेशी ऋण (वर्तमान विनिमय दर पर) और जीडीपी के बीच का अनुपात वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 2.7 प्रतिशत था। विदेशी ऋण (वर्तमान विनिमय दर पर) वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार की सकल देयताओं का 4.6 प्रतिशत और सरकारी ऋण का 5.1 प्रतिशत होना अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के स्रोत के रूप में ₹15,952 करोड़ के विदेशी ऋण का योगदान 0.9 प्रतिशत है। इसके अलावा, विदेशी ऋण विकास परियोजनाओं के चुनिंदा विकास भागीदारों से लिए गए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय ऋणों तक ही सीमित हैं और इस प्रकार ये पूंजी प्रवाह को उलटने के लिए नहीं हैं।

54. केंद्र सरकार के ऋण का जोखिम स्वरूप सुरक्षित और विवेकसम्मत रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ऋण पोर्टफोलियों में विस्तारणीय (रॉलऑवर) जोखिम निरंतर निम्न बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 (8 जनवरी, 2024 तक) में दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के 16.05 वर्ष के मुकाबले बढ़कर 17.93 वर्ष हो गई है। इसके अतिरिक्त, दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमनों की भारित औसत आय (डब्ल्यूएवाई) वित्त वर्ष 2023-24 (8 जनवरी, 2024 तक) में 7.25 प्रतिशत हो गई है जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.32 प्रतिशत थी।

55. सरकार प्रशासित ब्याज दरों को बाजार की दरों के अनुरूप लाने का भी प्रयास कर रही है। छोटी बचतों पर ब्याज दरें मोटे तौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार में हुई आय से संबद्ध हैं हालांकि, कर पश्च रिटर्न को ध्यान में रखते हुए (कुछ मामलों में) ब्याज दरों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 की कार्यनीतिक प्राथमिकताएं:

56. वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की राजकोषीय कार्यनीति निम्नलिखित व्यापक लक्ष्यों पर आधारित है:

(क) अप्रत्याशित आपात जोखिमों, यदि कोई हों, को झेलने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को अधिक समावेशी, संभारणीय और अधिक लचीली बनाने पर ध्यान देना।

(ख) अवसंरचनात्मक विकास के वेग को निरंतर कायम रखने के लिए पूंजीगत खर्च की ओर अधिक संसाधनों को लगाना और आवंटित करना।

(ग) पूंजीगत खर्च के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग करते हुए सार्वजनिक अवसंरचना के संवर्धन की दिशा में राजकोषीय संघवाद को मजबूती प्रदान करना।

(घ) पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए, देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की एकीकृत और समन्वित आयोजना तथा इसके कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देना।

(ङ) नागरिकों के कल्याण के लिए मुख्य विकास क्षेत्रों नामतः पेयजल, आवासन, स्वच्छता, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास आदि पर खर्च को प्राथमिकता देना।

(च) एसएनए/टीएसए प्रणाली का प्रयोग करके संसाधनों को सही समय पर जारी करके नगदी प्रबंधन की कारगरता बढ़ाना आदि।

निष्कर्ष और नीति मूल्यांकन

57. हालांकि, वित्त वर्ष 2023 के दौरान व्याप्त कुछ वैश्विक अनिश्चितताएं वित्त वर्ष 2024 में भी बनी रह सकती हैं, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी कि भारत अप्रत्याशित बाहरी जोखिमों से बचा रहे।

58. बजट अनुमान 2024-25 में राजकोषीय नीति का स्वरूप दो-आयामी हैः जिसमें पहला कार्य, विकास के माहौल को सकारात्मक आवेग प्रदान करना और दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाधाओं के प्रति और अधिक लचीली बनाना। बढ़े हुए पूंजीगत व्यय की योजना का बहुमुखी प्रभाव पड़ेगा और आशा है कि इससे घरेलू विकास में तेजी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप निजी निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर, इनसे मध्यावधि में तीव्र, सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

59. ब.अ. 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 5.9 प्रतिशत पर रखने के लक्ष्य को सं.अ. 2023-24 में संशोधित करके 5.8 प्रतिशत कर दिया गया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहते हुए, ब.अ. 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत अनुपालन के दायित्व से विचलन के कारणों को स्पष्ट करने वाला विवरण।

60. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(क) में केंद्र सरकार को अधिदेशित किया गया है कि वह राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए उपयुक्त उपाय करे। इस क्रम में, धारा 4(1)(ख)(ii) में अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक ना हो। इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(1)(घ) में यह भी अपेक्षा की गई है कि केंद्र सरकार पूर्वोक्त राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित तारीखों से आगे न बढ़ने देने का प्रयास करे। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(ख)(i) के अनुसार, वित्त मंत्री से अपेक्षा की गई है कि वह इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार पर डाले गए दायित्वों को पूरा करने में हुए विचलन को स्पष्ट करते हुए संसद के दोनों सदनों में विवरण दें।

61. राजकोषीय घाटे और ऋण को जीडीपी के लक्षित अनुपात में लाने का प्रयास कोविड-पूर्व काल में भी किया जा रहा था। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण पूरे विश्व और भारत में अभूतपूर्व आर्थिक और राजकोषीय संकट आया। महामारी के चलते केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 9.2 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विवश हो गई थी जबकि, ब.अ. 2020-21 के लिए उसे जीडीपी के 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

62. वित्त वर्ष 2024-25 का बजट ऐसे समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है जब वैश्विक अनिश्चितता आगे आ रही नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के साथ निरंतर बनी हुई है। उभरती चुनौतियों का कारगर ढंग से जवाब देने के लिए अपेक्षित राजकोषीय लचीलापन बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार एफआरबीएम की धारा 3(1ख) के अधिदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क विवरण संसद के दोनों सदनों में नहीं रख पाई है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार लोगों के लिए व्यापक आधार वाली समावेशी आर्थिक विकास लाने और उस पर कायम रहने में अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर लाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग पर चलती रहेगी।

******